न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी :– विकास पंचोली (R.A.S.)

प्रकरण संख्या – 83 / 2018 प्रार्थना पत्र

GCMS No. - 2018 / 00363

1 भोला दत्त पिता सीताराम जी जोशी ब्राहम्ण निवासी कनेरा तह० निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़
2 ओमप्रकाश पिता सीताराम जी जोशी ब्राहम्ण निवासी कनेरा तह० निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़
3 सत्यदेव पिता सीताराम जी जोशी ब्राहम्ण निवासी कनेरा तह० निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़
4 ज्ञानदेव पिता सीताराम जी जोशी ब्राहम्ण निवासी कनेरा तह० निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़
5 सीताबाई पत्नि सीताराम जी जोशी ब्राहम्ण निवासी कनेरा तह० निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़ राज०

....प्रार्थीगण

बनाम

1 अशोक पिता देवीलालजी ब्राहम्ण निवासी कनेरा तह० निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़
2 सीता पुत्री देवीलालजी ब्राहम्ण निवासी कनेरा तह० निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़
3 शान्तिबाई पत्नि मदनलालजी ब्राहम्ण निवासी कनेरा तह० निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़
4 ग्राम पंचायत कनेरा जरिये सरपंच ग्राम पंचायत कनेरा तह० निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़
5 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़

....विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 भू0 राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :– 1– श्री नरेन्द्र वैष्णव – अधिवक्ता प्रार्थी
2– श्री राजेश वर्मा – अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1,2,3
3– श्री योगेन्द्र सौलंकी – अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 4

निर्णय दिनांक :– 15.04.2024

1. प्रकरण में संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी की वाके मौजा कनेरा पटवार हल्का कनेरा तहसील निम्बाहेडा की आराजी जिसके नये खाता सं0 861 के आराजी नं0 1691 रकबा 0.0100 हैक्टेयर स्थित है।

2. वादग्रस्त पुराने मूल आराजी नं0 949 में से आबादी भूमि दर्ज थी उक्त भूमि में से प्रार्थीगण को ग्राम पंचायत कनेरा द्वारा के आबादी के पट्टे जो की प्रार्थीगण के पिता व पति सीताराम पिता सालगरामजी ब्राहम्ण निवासी कनेरा के नाम से वर्ष 1965 में जारी किये थे, जिसके पुराने आराजी नम्बर 949 होकर उक्त भूमि आबादी की भूमि है जहा [illegible] रहा हैं प्रार्थीगण की आराजीयात की जगह विपक्षीगण नं० 1 ता 3 के खातेदारी की [illegible] 1691 रकबा 0.0100 है0 जिसके पुराने आराजी नं0 949 / 33 / ग थे। राज[illegible] आराजीयात प्रार्थीगण के आबादी के पट्टे जो की प्रार्थीगण [illegible] सालगरामजी ब्राहम्ण [illegible] कनेरा के नाम से वर्ष 1965 से बने हुवे हैं तभी से प्रार्थीगण [illegible] पिता के समय से काबि[illegible] उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है जिस पर प्रार्थीगण द्वारा [illegible] ओर 6 फीट की पक्की [illegible]ल बना रखी है एवं सन् 1965 से उक्त आबादी की भूमि पर काबिज होकर उपयोग उपभोग करते चले आ रहे हैं, परन्तु राजस्व कर्मचारीयों की गलती की वजह से वर्तमान नक्शाट्रेस मे गलत रुप से विपक्षगणो की आराजीयात को तरमीम कर दिया है, तथा प्रार्थीगण के स्वामित्वअधिपत्य की पट्टे शुदा भूमि पर जहां पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2024.08.27 15:24:54 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

प्रार्थीगण काबिज हैं वहां पर प्रार्थीगण का नक्शा ट्रेस मे अंकन सही रुप से नही किया है, यह तरमीम राजस्व कर्मचारीयों की गलती से हुआ है तथा उक्त नक्शा ट्रेस मे अंकन प्रार्थीगण के मौके पर कब्जे अनुसार तरमीम नही किया है। इसलिए उक्त नवीन नक्शाट्रेस में तरमीम मौके पर काबिज अनुसार, अंकन कर कब्जे अनुसार नक्शा ट्रेस मे इन्द्राज दुरुस्ती किया जाना न्यायहित मे आवश्यक है।

3. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगणों को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। विपक्षी संख्या 1,2,3, की और से अधिवक्ता श्री राजेश वर्मा ने वकालतनामा पेश किया व जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया तथा 4 की और से अधिवक्ता श्री योगन्द्र सौलंकी ने जवाब पेश किया।

4. विपक्षी संख्या 5 तहसीलदार निम्बाहेड़ा द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र मय अपनी जांच रिपोर्ट में न्यायालय हाजा को प्रस्तुत की जिसकी रिपोर्ट बिन्दुवार निम्नानुसार है:–

1. वर्तमान में खातेदार श्री अशोक, सीता पिता देवीलाल, शान्ति पत्नि मदनलाल ब्राहमण नाम दर्ज मौजा कनेरा की आराजी नं. 1691 रकबा 0.01 है० पर कब्जा नही है। इनका कब्जा मौजा कनेरा की आराजी नं. 1688 किस्म आबादी में है।

2. प्रार्थीगण की खातेदारी आराजी नं. 1691 रकबा 0.01 है० का साबिक आराजी नं. 949/33ग रकबा 1 बिस्वा एवं वर्तमान आराजी नं. 1688 किस्म आबादी का साबिक आराजी नं. भी 949 है। इस प्रकार नक्शे में तरमीम वक्त भू–प्रबन्ध खातेदार के कब्जे अनुसार नही होकर अन्यत्र हो गई।

3. वर्तमान में खातेदार श्री अशोक, सीता पिता देवीलाल, शान्ति पत्नि मदनलाल ब्राहमण की तरमीम उनके कब्जे की जगह वर्तमान आराजी नं. 1688 में किया जाना उचित मानते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार करने की अनुशंषा की।

5. दोंनों पक्षों के अभिवचनों के आधार पर बहस सुनी गई । पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों एवं तहसीलदार निम्बाहेड़ा से प्राप्त जांच रिपोर्ट एवं संशोधन प्रस्ताव का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया एवं प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया।

6. उपर्युक्त तथ्यों के विश्लेषण से पूर्व सर्वप्रथम राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–136 का उद्धरण प्रासंगिक है। जो कि इस प्रकार है:–

> *136. Correction of errors. - The Land Record Officer may, at any time, correct or cause to be corrected in the prescribed manner any clerical errors and any errors which the parties interested admit to have been made in the record of rights or register, or which a Revenue Officer may notice during the course of his inspection in any Register:*
>
> *Provided that when any error is noticed by a Revenue Officer in any record of rights during the course of his inspection, no error shall be corrected unless a notice to show cause has been given to the parties*

एवं

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2024.08.27 15:24:54 IST
Reason: SelfAttested

धारा 131 में मानचित्र तथा क्षेत्रमिति (फील्ड बुक) का संधारण (Maintenance) [illegible] के समाप्त हो जाने के पश्चात् भू–अभिलेख अधिकारी [illegible]व राज्य सरकार द्वारा इस विषय में बनाए गए नियमों के अनुसा[illegible]नचित्र तथा फील्ड बुक रखी जाएगी वह प्रतिवर्ष या ऐसे अधिक लम्बे समयान्तर पर जो राज्य सरकार निर्धारित कर प्रत्येक गाँव या गाँव के भाग, भू–सम्पत्ति या खेत की सीमाओं के सब परिवर्तनों को उसमें लेखा लेगा तथा ऐसी

उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा

Scanned with OKEN Scanner

गलतियों को जो ऐसे मानचित्र या फील्ड बुक में की गई बतलाई जावे, सही करेगा।

7. इस प्रकार राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–136 के अवलोकन से स्पष्ट है कि राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–136 के तहत प्रार्थना–पत्र अथवा स्वप्रेरणा से राजस्व रिकॉर्ड में हुई त्रुटियों को संक्षिप्त विचारण कर दुरूस्त किये जाने के प्रावधान बनाए गए हैं। प्रकरण में प्रार्थी द्वारा जमाबंदी में खातेदारी संबंधी इन्द्राज के प्रारूप तथा अप्रासंगिक राजस्व इन्द्राज को कलमजन करने का अनुतोष बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। उक्त प्रकार का अनुतोष प्रथम दृष्टया राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–136 के तहत आवश्यक होने पर दुरूस्त किया जा सकता है।

8. प्रार्थना पत्र में वर्णित आधारों, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो, तहसीलदार निम्बाहेड़ा की रिपोर्ट एवं बहस में प्रकट तथ्यों के आधार पर संक्षिप्त सार यह है कि वादग्रस्त आराजियात वाके मौजा कनेरा पटवार हल्का कनेरा तह० निम्बाहेडा की आराजी नं0 1691 रकबा 0.0100 हैक्टेयर भूमि पर प्रार्थीगणो का तहसीलदार निम्बाहेडा की प्राप्त जांच रिपोर्ट अनुसार कब्जा होना पाया गया है तथा विपक्षी क्रमांक 1,2,3 का वर्तमान आराजी नम्बर 1688 किस्म आबादी पर कब्जा होना अंकित है। इस प्रकार जहां पर प्रार्थीगण काबिज है वहा पर प्रार्थीगण का नक्शा ट्रेस में अंकन सही रूप से नहीं किया है तथा उक्त नवीन नवीन नक्क्षा ट्रेस में तरमीम मौके पर काबिज अनुसार एवं प्रस्तावित नक्शा ट्रेस अनुसार नवीन नक्शा ट्रेस व वर्तमान जमाबन्दी में इन्द्राज दुरूस्ती किया जाना उचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 131,136 भू0 राजस्व अधिनियम स्वीकार किया जाकर तहसीलदार निम्बाहेडा को आदेशित किया जाता है कि वाके मौजा कनेरा पटवार हल्का कनेरा तह० की आराजी नम्बर 1691 रकबा 0.01 हैक्टेयर भूमि व आराजी नम्बर 1688 किस्म आबादी भूमि की तरमीम किया जाने का आदेश दिया जाता है। नक्शा ट्रेस आदेश का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार निम्बाहेडा की रिपोर्ट एवं प्रस्तावित नक्शा ट्रेस एवं प्रस्तावित विवरण अनुसार निम्नानुसार अमल दरामद करे।

क्र. स.	नाम खातेदार	वर्तमान विवरण		प्रस्तावित विवरण	
		खसरा नं0	रकबा	खसरा नं0	रकबा
1	अशोक,सीता पिता देवीलाल,शान्ति पत्नि मदनलाल ब्राहम्ण	1691	0.01है0	1688 में से	0.01 है0
2	राजस्थान सरकार	1688	6.40 हैक्टेयर	1688	6.39 है0
				1691	0.01 है0
				कुल किता 2	6.40 है0

उपर्युक्तानुसार संशोधित प्रस्तावित हिस्सा अंकित अनुसार राजस्व रेकार्ड में तरमीम की जावें। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो दाखील दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 15.04.2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2024.08.27 15:24:54 IST
Reason: SelfAttested

(विकास पंचौली)
उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेडा

उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेडा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

Scanned with OKEN Scanner